

// आदेश //

राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 4 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में E-Way Bill (EWB) MECHANISM & BILL TO SHIP TO MODEL विषय पर प्रस्तावित आफलाइन पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 21.07.2025 से 25.07.2025 तक प्रस्तावित है, जिसमें प्रतिभाग करने हेतु निम्न AC & STO MOBILE स्तर के अधिकारियों को नामित किया जाता है:-

S.N.	EMPID	NAME	DES.	OFF NAME	MOBILE
1	124722	Rohit Rawat	AC	AC (Mobile Squad) -2,Noida	8400701475
2	124814	Sharwan Kumar Mishra	AC	AC (Mobile Squad) -7,Ghaziabad	9595557447
3	124842	Gyanendra Singh	AC	AC (Mobile Squad) -9,Ghaziabad	9415195586
4	124713	Jyoti Dhariwal	AC	AC (Mobile Squad) -6,Kanpur	9557531718
5	124072	Sanmati Kumar	AC	AC (Mobile Squad) Badaun	7235002743
6	124744	Rameshwar Tripathi	AC	AC (Mobile Squad) -4,Varanasi	8423083060
7	125662	Shivani Ms	AC	AC (Mobile Squad) Unnao	9935690431
8	125109	Pushp Raj Singh	AC	AC (Mobile Squad) - 1,Mathura	8840256231
9	124798	Anubhava Singh	AC	AC (Mobile Squad) - 4,Mathura	9838421978
10	126966	Ajendra Kumar Tripathi	AC	AC (Mobile Squad) Bhognipur Ramabai Nagar	9453949835
11	125831	Deepa Sagar Ms.	AC	AC (Mobile Squad) Kannauj	8755599330
12	124774	Dhananjay Kumar	AC	AC (Mobile Squad) -1,Kanpur	7235002338
13	127403	Bineet Sukhija	STO	AC (Mobile Squad) - 3,Agra	9729780910
14	127157	Anmol Mittal	STO	AC (Mobile Squad) - 4,Agra	9410452683
15	126197	Dharampal Singh	STO	AC (Mobile Squad) - 7,Agra	9956380884
16	125910	Jyoti Saraswat Ms.	STO	AC (Mobile Squad) - 8,Agra	8510078729
17	127150	Prakhar Pratap Singh	STO	AC (Mobile Squad) - 2,Aligarh	9140258959
18	126993	Siddhant Singh	STO	AC (Mobile Squad) - 3,Mathura	9999341201
19	125843	Sudhir Kumar-II	STO	AC (Mobile Squad) Gonda	8765541545
20	126921	Sonam Rai Ms.	STO	AC (Mobile Squad) Sultanpur	7052545932
21	126362	Bhuwan Chandra	STO	AC (Mobile Squad) -1,Bareilly	9412840840
22	126984	Vanika Singh Ms	STO	AC (Mobile Squad) -2,Bareilly	7982688045
23	126985	Shailendra Kumar Maurya	STO	AC (Mobile Squad) Auraiya	7784838382
24	127207	Akansha Sankhwar Ms	STO	AC (Mobile Squad) Kannauj	7860112324
25	127433	Rohit Gupta	STO	AC (Mobile Squad) -4,Noida	8383811963
26	127431	Amit Kumar	STO	AC (Mobile Squad) -4,Ghaziabad H/o Hapur	9810431205
27	126207	Pradeep Singh	STO	AC (Mobile Squad) -8,Ghaziabad	9450356267
28	127239	Somkar Singh	STO	AC (Mobile Squad) -12,Ghaziabad	8882445138
29	127412	Anand Kumar Singh	STO	AC (Mobile Squad) -2,Gorakhpur	9718937507
30	126943	Rimjhim Asthana Ms	STO	AC (Mobile Squad) - 1,Jhansi	7235002882
31	127663	Shankar Kumar Jha	STO	AC (Mobile Squad) -3,Kanpur	9935179184
32	126992	Nitish Tripathi	STO	AC (Mobile Squad) -4,Kanpur	9205230026
33	125716	Nisidh Kumar	STO	AC (Mobile Squad) -7,Kanpur	7235003815
34	127163	Smriti Gupta Ms	STO	AC (Mobile Squad) -1,Lucknow	8737812662
35	999906	Brij Bihari Singh	STO	AC (Mobile Squad) Sitapur	9415062344
36	126762	Rakesh Sharan Khanna	STO	AC (Mobile Squad) Bagpat	9319951530
37	126994	Shivani Singh Ms	STO	AC (Mobile Squad) - 3,Moradabad	7838213127
38	126201	Bhanu Pratap Singh-II	STO	AC (Mobile Squad) - 6,Moradabad	9560341478
39	126965	Manavendra Singh	STO	AC (Mobile Squad)-2,Prayagraj	8299403179
40	127300	Raja Chaudhary	STO	AC (Mobile Squad) -4,Saharanpur	8287346013
41	127147	Ashutosh Dubey	STO	AC (Mobile Squad) - 1,Varanasi	9560633245
42	126157	Aniket Tripathi	STO	AC (Mobile Squad) Jaunpur	9889868885

श्रीमती पूर्णिमा

As

18.7.25

DC (A.T.)

18-7-25

2039

प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त दिनांक 21.07.2025 से ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, विभूति खण्ड प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ, के कार्यालय में प्रत्येक दशा में दिनांक 21.07.2025 की प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती/सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। अधिकारियों के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार है:-

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसका उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी अधिकारी को अनुमति नहीं होगी।
- अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें।
- संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा।
- अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेंगी। मेस में भोजन का व्यय अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना/मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन अधिकारियों के पास मोबाइल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायेगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं० 4905 दि० 15.03.2018 के प्रस्तर 'ग' के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

८

(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIMS MODULE पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(श्याम प्रसाद)

अपर आयुक्त ग्रेड-2 राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।